भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या : 222
06 मार्च, 2020 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चिकित्सीय परामर्शों संबंधी विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशानिर्देश

*222. डॉ॰ (प्रो॰) महेन्द्र मुंजपराः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशानिर्देशों संबंधी आदर्श परामर्श के अनुसार परामर्श देने की विधियों का अनुसरण करने हेतु चिकित्सकों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई कदम उठाये हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ग) चिकित्सकों द्वारा परामर्श दिये जाने संबंधी की जाने वाली त्रुटियों को रोकने/समाप्त करने हेतु अन्य क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

f□□□□ 06 □□□, 2020 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न □□222 □□□त□□ □ □□ले□□□□ □□□□□

(क) से (ग): स्वास्थ्य राज्य का विषय है। हालांकि, भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचार, शिष्टाचार एवं नैतिकता) विनियम, 2002 के खंड 1.5 म वर्णित है कि प्रत्येक चिकित्सक को दवाओं का परामश उनके जेनेरिक नाम के साथ स्पष्ट रूप से पठनीय और वरीयतन बड़े अक्षरों म देना चाहिए तथा वह यह सुनिश्चित करेगा कि परामश और दवा का उपयोग तकसंगत है। इसके अलावा, भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) ने दिनांक 21.04.2017 को एक परिपत्र जारी किया जिसके माध्यम से सभी पंजीकृत चिकित्सकों को उपयुक्त प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए निदश दिए गए ह। उक्त एमसीआई अथवा उपयुक्त राज्य चिकित्सा परिषदों को उक्त विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन करने वाले चिकित्सक के विरुद्ध अनुशासनिक कायवाही करने को शक्तियां प्रदान को गई ह। जब कभी चिकित्सकों के लिए नैतिकता के नियमों का उल्लंघन के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होती ह तो ऐसी शिकायतों को एमसीआई द्वारा संबंधित राज्य चिकित्सा परिषदों को संदर्भित किया जाता है जहां वे चिकित्सक/ मेडिकल प्रैक्टिशनर पंजीकृत ह।

राज्यों को जन स्वास्थ्य सुविधाओं म जेनेरिक दवाओं का परामश सुनिश्चित करने तथा नियमित प्रेसक्रिप्शन ऑडिट का आयोजन करने को सलाह दी गई है। प्रेसक्रिप्शन ऑडिट करना राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों (एनक्यूएएस) के तहत प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए पूवापेक्षाओं म से एक है।

21 नैदानिक विशेषताओं से संबंधित 227 चिकित्सीय स्थितियों के लिए उचित स्वास्थ्य परिचया के प्रावधान हेतु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मानक उपचार दिशानिदश (एसटीजी) जारी किए गए ह और इन्ह सावजनिक तौर पर उपलब्ध कराया गया है। मानक उपचार दिशानिदशों को विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कायक्रमों के तहत भी वर्णित किया गया है।

नैदानिक प्रतिस्थापना अधिनियम 2010 और इसके अंतगत बनाए गए नियमों के तहत नैदानिक प्रतिस्थापना को पंजीकरण के लिए तथा जारी रहने के लिए कद्र सरकार अथवा राज्य सरकार, संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र, जिसम उक्त अधिनियम लागू है, द्वारा जारी किए गए मानक उपचार दिशानिदशों का अनुपालन करना होता है। आज को तारीख के अनुसार नैदानिक प्रतिस्थापना अधिनियम 2010, 11 राज्यों और पांच संघ राज्य क्षेत्रों नामत: अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मिजोरम, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, लक्ष्यद्वीप और पुदुच्चेरी म लागू है। नैदानिक प्रतिस्थापनाओं को विनियमित करने के लिए 17 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों म उनके अपने अधिनियम ह। अधिनियम का कायान्वयन संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के काय क्षेत्र म है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, जन स्वास्थ्य सुविधाओं म आवश्यक जेनेरिक औषधियां निशुल्क उपलब्ध कराने के लिए सहायता प्रदान को जाती है। यह सहायता केवल औषधियों के लिए ही प्रदान नहों को जाती अपितु निशुल्क औषधि सेवा पहल नामत: अधिप्राप्ति को सक्षम प्रणाली का सुदृढ़ीकरण/ गठन, गुणवत्ता आश्वासन, आईटी समर्थित आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणालियां जैसे सीडीएसी द्वारा विकसित औषधि एवं वैक्सीन वितरण प्रबंधन प्रणाली (डीवीडीएमएस), भंडारण, प्रेसक्रिप्शन ऑडिट, शिकायत निवारण, सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण (आईईसी), प्रशिक्षण के प्रभावी कायान्वयन के लिए आवश्यक विभिन्न घटकों के लिए भी यह सहायता प्रदान को जाती है।

****